26.11.09

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA -800001

No. L. A. Sur/ 2266 **Dated:** - 17.11.09

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Patna.

Sir,

Audit Report No.-**180/2009-10** on the accounts of **Makhdumpur Nagar Panchayat** for the Period **2005-06 to 2008-09** is enclosed for your kind information and necessary action.

Encl: -As above

Yours faithfully

17.11.09.

(Manoj Kumar)
Sr. Audit Officer/Surcharge

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 180/09-10

1. प्रस्तावना :-

नगर पंचायत, मखदुमपुर के वर्ष 2005-06 से वर्ष 2008-09 तक के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा 08.06.09 से 28.06.09 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन :-

क0सं0	विवरण	अवधि
प्रशासन :-		
A.	अध्यक्ष का नाम :-	
1.	श्री बदन मांझी	01.04.05 से 08.05.07
2.	श्रीमती सरोज भारद्वाज	09.05.07 से 31.03.09
B.	उपाध्यक्ष का नाम :-	
1	श्रीमती बिनिता कुमारी	01.04.05 से 06.09.05
2	श्री बिनोद कुमार सिंह	16.01.06 से 08.06.07
3	श्रीमती रबिता देवी	09.06.07 से 31.03.09
C.	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम :-	
1	श्री ओम प्रकाश	01.04.05 से 10.06.05
2	श्री शिव कुमार राउत	11.06.05 से 10.07.05
3	श्री परमान्द कुमार	11.07.05 से 09.05.07
4	श्री उज्जवल कुमार सिंह	10.05.07 से 25.09.08
5	श्री गिरधारी लाल	26.09.08 से 29.10.08
6	श्री उज्जवल कुमार सिंह	30.10.08 से 31.03.09

3. **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र :-**

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए एवं नमूना लेखा परीक्षा किए गए अभिलेखों की सूची **परिशिष्ट-I** में तथा असांधारित एवं अनुपलब्ध कराए गए अभिलेखों की सूची **परिशिष्ट-II** में दी गयी है।

4. **पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-**

इससे पूर्व सिर्फ एक ही अंकेक्षण प्रतिवेदन है, जिसमें लंबित कंडिकाओं की सँख्या 27 है। लेखा परीक्षा के अन्तिम क्षण में अनुपालन प्रतिवेदन दी गयी। जिसे अलग से प्रस्तुत किया गया है।

5. **वित्त :-**

नगर पंचायत मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान पर पुर्णरूपेण निर्भर था। सामान्य रोकड़ बही एवं कोषागार पासबुक के आधार पर नगर पंचायत निधि का लेखा परीक्षा अवधि में आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार था।

वर्ष	2005-06	2006-07
प्रारंभिक शेष	3888707.00	2346976.00
प्राप्ति	3340151.00	2787826.00
कुल	7228858.00	5134802.00
घटाव वर्ष का व्यय	4881882.00	2626529.00
अंतशेष	2346976.00	2508273.00

वर्ष	2007-08	2008-09
प्रारंभिक शेष	2508273.00	4376800.00
प्राप्ति	6427919.00	11244125.00
कुल	8936192.00	15620925.00
घटाव वर्ष का व्यय	4559392.00	6344531.00
अंतशेष	4376800.00	9276394.00

(४०)

सामान्य रोकड़ बही में योजना वार दर्शाए गए आय-व्यय की राशि का संव्यवहार निम्नानुसार था।

(1) राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम :-

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09
प्रारंभिक शेष	768602.00	224385.00	159385.00
प्राप्ति	27940.00	शून्य	शून्य
कुल	796542.00	224385.00	159385.00
व्यय	572157.00	65000.00	22206.00
अन्तशेष	224385.00	159385.00	137179.00

(2) द्वादश वित्त आयोग :-

वर्ष	2007-08	2008-09
प्रारंभिक शेष	2171739.00	936409.00
प्राप्ति	1602959.00	634753.00
कुल	3774698.00	1571162.00
व्यय	2838289.00	1453061.00
अन्तशेष	936409.00	118101.00

(3) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :-

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
प्रारंभिक शेष	624754.0018.08.05 से 31.03.06 तक का विवरणी है।	246014.00	112149.00	92649.00
प्राप्ति	37805.00	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	662559.00	246014.00	112149.00	92649.00
व्यय	416545.00	133865.00	19500.00	शून्य
अन्तशेष	246014.00	112149.00	92649.00	92649.00

09

(iv) BRGF :-

वर्ष	2008-09
प्रारंभिक शेष	शून्य
प्राप्ति	2050447.00
कुल	2050447.00
व्यय	1227552.00
अन्तशेष	822895.00

(v) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संस्थान:-

वर्ष	2007-08	2008-09
प्रारंभिक शेष	शून्य	1397640.00
प्राप्ति	1397640.00	40000.00
कुल	1397640.00	1437640.00
व्यय	शून्य	1276000.00
अन्तशेष	1397640.00	161640.00

नोट :-रा0ग0व0वि0का0 का 05-06

द्वादश वित्त आयोग का 06-07

लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण संस्थान 05-06, 06-07 का संस्थान आय-व्यय की विवरणी उक्त सामान्य रोकड़ बही में दर्शायी नहीं जाने के कारण नहीं दी गयी है।

6. बैंक सामाधान विवरणी :-

दिनांक 31.03.09 को रोकड़ बही अवशेष -9276394.00 रूपया 31.03.09 को कोषागार/बैंक पासबुक के अनुसार अवशेष -

कोषागार पासबुक - 14420.00

28

बैंक पासबुक – अनुपलब्ध

नगर पंचायत द्वारा कितने बैंक खाता का संधारण किया गया अंकेक्षण में न तो बताया गया और न ही प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप दिनांक 31.03.09 को बैंक पासबुक का अवशेष अंकेक्षण में ज्ञात नहीं हो सका।

बैंक सामाधान विवरणी तैयार नहीं किए जाने के कारण किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसे अविलम्ब तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

आंतरिक

7. आंतरीक लेखा परीक्षा :-

बिहार नगर पालिका अधिनियम अथवा उसके अधीनस्थ नियमों, उपनियमों में आंतरीक लेखा परीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन बिहार नगर पालिका लेखा नियम-1928, के नियम 20, 64 तथा 66 में यह व्यवस्था की गयी है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी एवं उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से आय एवं व्यय के लेखाओं का आंतरिक जाँच की जाएगी, परन्तु अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया गया कि किसी भी स्तर पर लेखाओं की जाँच अर्थात् आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गयी थी।

अतः नगर पंचायत के प्रधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है, कि नियमित रूप से लेखाओं का आंतरिक जाँच की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से बचा जा सके।

8. सरकारी अनुदान :-

नगर पंचायत को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम द्वादश, एकादश वित्त आयोग, पेय जलापूर्ति की राशि के अंतर्गत प्राप्त अनुदान प्राप्त होती रही है।

परन्तु नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया जिसके कारण वर्षवार अनुदान की प्राप्ति, उपयोग की गयी राशि तथा शेष राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

7

यद्यपि, प्रधान सहायक द्वारा प्रस्तुत विवरणी (KD-2) की एवं रोकड़ बही के आधार पर कुछ अनुदान की विवरणी परिशिष्ट –III में दी गयी है। अनुदान पंजी का संधारण कर वर्षवार विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9. लेखा भी वर्ष नहीं महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :–

क0सं0	कंडिका	कंडिका संख्या	राशि
1	नहीं जमा	13(i)	208471.00
2	राशि का विचलन	(14)	286584.00
3	सोनालिका ट्रैक्टर का बीमा	(17)	1308.00
4	दैनिक वेतनभोगी पर अनियमित भुगतान	(18)	65303.00
5	कबीर अंतोष्टि योजना	(21)	159000.00
6	अनियमित नियुक्ति	(22)	499365.00
7	सैरात की बन्दोबस्ती	(24)	220512.00
8	(i) चतुर्थ वर्गीये कर्मचारी को उच्चतर पद का प्रभार देकर 200 योजनाओं काअभिकर्त्ता नियुक्त करना।	(25)	25
9	XII वाँ वित्त आयोग से व्यय	(32)	1127527.00
10	असमायोजित अग्रिम	(33)	217500.00
11	असमायोजित अग्रिम (XII F.C. में II nd Installment)	(35)	437539.00
12	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	(39)	488200.00

10. (अ) रोकड़ बही की त्रुटियाँ :–

रोकड़ बही के जाँच के कम में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी।

(1) वर्ष 2005–06, 2006–07, एवं 2007–08 का प्रस्तुत सामान्य रोकड़ बही में सिर्फ एकादश, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना एंव गंदी बस्ती विभाग कार्यक्रम के आय एवं व्यय की विवरणी पायी गयी ।

(2) व्यय की गयी राशि से संबद्ध चेक नम्बर, निर्गत की तिथि, तथा उद्देश्य सामान्य रोकड़ बही में दर्ज नहीं पायी गयी ।

(3) मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आय/व्यय विवरणी नहीं बनाया गया ।

(4) रोकड़ बही निर्धारित प्राप्त में तैयार नहीं किया गया था।

(5) प्राप्तियों एवं व्ययों को वर्गीकृत नहीं किया गया था।

(6) अग्रिम प्रदान की गयी, राशि के उद्देश्य दर्ज नहीं किया गया । जिसके कारण यह पता नहीं लगाया जा सका कि कौन राशि अग्रिम का है, और कौन नही ।

(7) वर्ष 2008-09 को छोड़कर शेष अंकेक्षण अवधि का सहायक रोकड़ बही या तो संधारित नहीं था या प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(8)(i) एकादश वित्त आयोग के नमूना जाँच क्रम में पाया गया कि रू0 5150.00 चेक संख्या 633798 से निकाला गया, परन्तु रोकड़ बही में इसकी प्रविष्ठि दर्ज नहीं पायी गयी (चेक अधपन्ना के अनुसार) ।

(ii) 5120.00 रू0 चेक संख्या - 893735 से निकाला गया, परन्तु रोकड़ बही में 5745.00 रू0 दर्ज पाया गया (चेक अधपन्ना के अनुसार) ।

(9) चेक संख्या 403954 दिनांक 06.03.09 के द्वारा 15000.00 रू0 बैंक से निकाला गया, परन्तु रोकड़ बही में 13454.00 दर्ज पाया गया।

(10) आजाद सेल्स से 5000.00रू0 जमानत राशि के रूप में ली गयी थी, परन्तु आय के कॉलम में इसकी प्रविष्टि नहीं पायी गयी।

(11) रोकड़ बही के आय के कॉलम में दर्ज राशि से संबद्ध प्राप्ति का स्त्रोत, पत्रांक, तथा चेक संख्या, दर्ज नहीं पाया गया। किन्हीं भी कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा रोकड़ बही के उचित संधारण पर रोकड़ बही में कोई टिप्पणी नहीं किया गया।

उपर्युक्त त्रुटियाँ के संबंध मे नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त त्रुटियाँ के निवारण के लिए ठोस कदम उठाये जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृति न हो। निराकरण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

25

11. बजट प्राक्कलन :-

बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 71 के प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के कम से कम दो महीने पहले आयूक्तों की बैठक में आगामी वर्ष के लिए संभावित आय एवं व्यय की प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

परन्तु नगर पंचायत द्वारा कोई बजट प्राक्कलन नहीं बनाया गया। नगर पंचायत के अधिकारी का ध्यान इन ओर आकृष्ट किया जाता है कि बजट बनाये जाने हेतु कारवाई की जाय।

12. रसीदों का प्रस्तुतीकरण नहीं :-

पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन में जिन रसीदों को प्रस्तुत नहीं किया गया था, उन रसीदों को बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

क0सं	विवरण	प्राप्त नहीं किए गए बुक
1	मीट लाइसेंस	2 बुक
2	आपत्ति जनक तथा खतरनाक व्यवसाय अनुज्ञाप्ति	5 बुक
3	कोर्ट फारम	250 पीस
4	ठेला रसीद	2000 पीस
5	फुटपाथ	2000 पीस
6	वाहन शुल्क	2000 पीस
7	एच0 रसीद	1800 पीस (18 बुक)

उपरोक्त रसीदों के अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनका लेखा जाँच नहीं हो सका तथा किसी बड़े वित्तीय अनियमितताए की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

नगर पंचायत के अधिकारी का ध्यान इन ओर आकृष्ट किया जाता है कि इन रसीदों द्वारा वसूली की स्थिति की सम्यक जाँच कर, वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

नोटः- अप्रस्तुत एच0रसीद0: श्री संजय कुमार सिंह, को 50 बुक एच0रसीद (25 बुक 18.11.07 को, 25 बुक 12.12.07) को जारी किया गया,

जिसमें 18 बुक (विवरणी परिष्टि–VII) पर है, अंकेक्षण के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया।

13. वसूली की राशि का कम जमा/जमा नहीं :–

(i) अंकेक्षण में रसीदों के जाँच के क्रम में 208471.00 रू0 विवरणी परिशिष्ट (iV) कम जमा या नही जमा नहीं पाया गया।

क0सं0	रसीदों का प्रकार	राशि	व्यक्तियों का नाम
1	एच0 रसीद	10769.06	संजय कुमार सिंह, टैक्स दारोगा
2	एच0 रसीद	9948.00	शिव कुमार पासवान, सफाई जमादार
3	एच0 रसीद	1334.90	अभिषेक कुमार टैक्स कलेक्टर (4%कमीशन पर)
4	मनी रसीद (सं0 40से110तक)	817.00	राजा राम प्रसाद प्रधान सहायक सह लेखापाल
5	मनी रसीद (सं0 40से110तक)	3428.00	कौशिक चन्द्रा सहायक
6	मनी रसीद (सं0 40से110तक)	166667.00	संजय कुमार सिंह, टैक्स दारोगा
7		15007.00	अनवर अंसारी टैक्स दारोगा
8		500.00	संजय कुमार सिंह, टैक्स दारोगा
	कुल	208471.00	

क्रम संख्या 7 एवं 8 पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 714/05-06 के कंडिका 15 से लिया गया है।

उपर्युक्त राशि का वसूली कर जमा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(ii) मनी रसीद संख्या-84 का द्वितीय प्रति अधपन्ना रसीद बुक में उपलब्ध नही पाया गया, तथा उसका अर्धांश पुरी तरीके से खाली/रिक्त था। जिससे यह पता नही चल सका कि मनी रसीद संख्या – 84 से कितनी राशि की वसूली की गयी,

नगर पंचायत प्रशासन से यह अनुरोध किया जाता है, कि इसकी सम्यक जाँच की जाए एवं अंकेक्षण कार्यालय को वस्तुस्थिति की जानकारी दी जाए।

(iii) इसके अलावा प्रस्तुत मनी रसीद में मनी रसीद संख्या 1 से 39 एवं 131 से 139 तक उपलब्ध नहीं पाया गया । फलस्वरूप उक्त रसीदों से कितनी राशि की वसूली की गई तथा कितनी जमा की गई अंकेक्षण को पता नहीं चल सका। रसीदों के अप्रस्तुतीकरण के कारण किसी भी गंभीर वित्तीय अनियमिता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसकी अविलंब छानबीन की जाय तथा वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

14. राशि का विचलन :-

नमूना जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं की राशि का वेतन मद एवं बी0पी0एल0 पर खर्च किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क0सं0	विचलन कहाँ किया गया	राशि	कहां से विचलन किया गया।
1	BPL कार्य में	1000.00	XI F.C. मद से Page 139
2	वेतन मद में	40584.00	XI F.C. मद से Page 139 Cheque No. 16521 dt. 22-09-05
3	BPL एवं Court Fee	11840.00	XI F.C. मद से
4	BPL मद में	10000.00	XII F.C. मद से
5	वेतन मद में	223160.00	XII F.C. मद से
	कुल	286584.00	

विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान की राशि का अन्य मद में विचलन कर व्यय किया जाना अनियमित था। इसे अविलंव रोका जाय तथा विचलन की गई राशि की भरपाई की जाय।

विचलन की राशि 286584.00 रु0 को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

15. सेल टैक्स/रॉयल्टी/इनकम टैक्स की वसूल की गयी राशि जमा नहीं :-

नमूना जाँच के क्रम में यह पाया गया विभिन्न योजनाओं से सेल टैक्स/ रॉयल्टी/इनकम टैक्स की काटी गई राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया।

	रूपया	अभ्युक्ति
सेल टैक्स	64305.00	यो0सं0 1/08-09 (चापाकल गाड़ने से संबद्ध एवं)
रॉयल्टी	731.00	सी0एफ0एल0 क्रय
इनकम टैक्स	30262.00	
कुल	95298.00	

अतः कुल रू0 95298.00 अविलम्ब संबंधित शीर्ष में जमा की जाए एवं अगले अंकेक्षण को दिखायी जाए।

कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है, कि बाकी सभी पुर्ण योजनाओं में सेल टैक्स/रॉयल्टी/इनकम टैक्स के रूप में काटी गयी राशि का आकलन कर संबंधित शीर्ष में जमा करवायी जाए।

16. अनियमित खर्च :-

(i) 4200.00 रू0 का व्यय पैंट, साड़ी, शर्ट एवं अन्य कपड़ों, जो नगर पंचायत में काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के ड्रेस पर था, किए गए, जो अनियमित था । यह सभी कपड़े मखदुमपुर वस्त्र भंडार से मेमो0 न0 153 दिनांक 03.12.2008 के द्वारा खरीदे गए। अतः 4200.00 रू0 प्रधान सहायक सह लेखापाल से वसुलनीय है।

(ii) अभिश्रवों की नमूना जाँच के क्रम में यह पाया गया कि 492.00 रू0 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैम्प, की सफाई पर खर्च किये गये जो नगर पंचायत के अधीन नहीं था । अतः उसकी सफाई पर नगर पंचायत मखदुमपुर द्वारा वहन करना अनियमित था। अतः 492.00 रू0 संबधित दोषी व्यक्ति से वसूलनीय है।

(iii) अभिश्रवों की नमूना जाँच के कम में यह पाया गया कि श्री राजा राम प्रसाद प्रधान सहायक सह लेखापाल द्वारा मेसर्स हाट लाइन, मखदुमपुर से कैश मेमो संख्या-38 दिनांक 26.03.09 द्वारा नोकिया मोबाईल फोन का क्रय किया गया के जिसकी कीमत 2268.00रू0 थी।

यह राशि भवन निर्माण सहायक रोकड़ बही के (2008-09) Page No. 76 पर दर्ज है।

प्रधान सहायक सहलेखापाल को मोबाईल प्रदान किये जाने से संबद्ध को सक्षम आर्देश/प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः मोबाईल क्रय पर व्यय किया जाना अनुमान्य नहीं है, जिसकी वसूली की जाय।

17. अधिक निकासी :-

नगर पंचायत द्वारा सोनालिका हाइड्रोलिक ट्रैक्टर दिनांक 11.01.08 को खरीदा गया था। जिसके बीमा के लिए, 12 वीं वित्त आयोग के सहायक रोकड़ बही से चेक संख्या 403906 दिनांक 11.01.08 के द्वारा 7005.00 रूपया की निकासी की गयी।

परन्तु युनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी, गया के बीमा से सबंधित पत्र के जाँच के कम में यह पाया गया कि बीमा पर मात्र 5697.00 रू0 ही खर्च किया गया। फलस्वरुप 7005-5697 = 1308 रूपये की अधिक निकासी हुई जिसे संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूली जाय।

(ii) सोनालिका ट्रैक्टर दिनांक 11.01.08 को खरीदा गया था। परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था। साथ ही बीमा की अवधि 15.01.08 से 14.01.09 थी, अर्थात जनवरी माह में अवधि समाप्त हो चुकी थी तथा 4-5 महीने बीत जाने के बाद भी बीमा इसका नवीनीकरण नहीं कराया गया।

किसी तरह की अनहोनी होने की स्थिति में निबंधन तथा बीमा के अभाव में नगर पंचायत को इस मद में किसी भी क्षति की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि सोनालिका ट्रैक्टर से संबंधित उपर्युक्त अनियमितताओं को अविलम्ब निराकरण हेतु उचित कदम उठाए, ताकि नगर पंचायत को किसी अनहोनी होने पर परेशानी का सामना न करना पड़े।

18. दैनिक वेतन भोगी मजदूरों पर अनियमित व्यय :-

अभिश्रवों की नमूना जाँच के क्रम में यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दैनिक वेतन भोगी मजदुरों पर कुल 65303.00 रू0 खर्च किया गया।

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न पत्रों द्वारा यह सूचित किया जाता रहा है, कि दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की नियुक्ति नहीं की जानी है। इसके बावजूद नगर पंचायत द्वारा इन पर 65303.00 रू0 की राशि खर्च की गयी।

भुतलक्षी प्रभाव से सरकार द्वारा सक्षम आदेश प्राप्त किये जाने तक रू0 65303.00 आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

19. JCB मशीन द्वारा सफाई कार्य :-

अभिश्रवों की नमूना जाँच के क्रम में यह पाया गया कि नगर पंचायत, मखदुमपुर में JCB मशीन एवं ट्रैक्टर की सहायता से शिवम इन्टर प्राइजेज द्वारा सफाई कार्य कराया गया, जिस पर 81010.00 रू0 व्यय हुआ। जिसका भुगतान मेमो0 संख्या 817 दिनांक 02.07.08 के आधार पर किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी :-

अभिश्रव संख्या 817 दिनांक 02.07.08 के अनुसार ट्रेक्टर दिनांक 23.06.08 से लगातार 02.07.08 तक 195 ट्रीप काम किया। (195X10=21450.00) अर्थात 10 दिन में 195 ट्रीप, अर्थात एक दिन में 20 ट्रीप (लगभग)। यह एक-दो ट्रैक्टर के लिए संभव नहीं है। इस कार्य हेतु कितने ट्रैक्टर उपयोग में लाए गए, इसका जिक्र न तो अभिश्रव में पाया गया और न हीं संबधित संचिका में ज्ञातव्य है कि नगर पंचायत के पास

69

अपना एक ट्रैक्टर 11.01.08 से है, पर इसका इस सफाई में कहीं उपयोग नहीं दिखाया गया।

अतः मामले की जाँच उच्च अधिकारी द्वारा की जाए, तब तक 21450.00 रू0 (195X110रू0 प्रति) आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

20. भंडार पंजी में प्रविष्टी नहीं :-

पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन में टिप्पणी किये जाने के, बाबजूद नगर पंचायत में भंडार पंजी का संधारण नही किया गया।

फलस्वरूप कय साम्रगियों का नगर पंचायत के भंडार में सुनिश्चित नहीं किया जा सका । कुछ सामग्रियों के उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं।

क0सं0	साम्रगी	मात्रा	राशि (रू0)	चेक नं0/ दि0
1	वेस्ट कन्टेनर	14	392000.00	403555/ 19.06.08
2	गारबेज कन्टेनर	38	338200.00	52650/ 01.09.08
3	कुर्सी	24	42600.00	अनु0
4	स्टूल	3	-	अनु0
5	स्टील अलमीरा		4200.00	अनु0
		कुल	**777000.00**	

कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है, कि भंडार पंजी का संधारण अविलम्ब की जाए, ताकि किसी भी क्षति की संभावना से बचा जा सके, तब तक 777000.00 रू0 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

21. कबीर अंतयोष्टि योजना :-

सरकार द्वारा कबीर अंतयोष्ठि योजना उन जरूरत मंदों के लिए शुरू की गयी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अंतयोष्ठि करने में वित्तीय रूप से असमर्थ रहते हैं।

सरकार स्थानीय पार्षद की अनुशंसा पर उन्हें अंतयोष्ठि करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।